ओ0पी0 सिंह
आईपीएस

डीजी परिपत्र संख्या-29/2019

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
षष्टम तल, टावर–2, पुलिस भवन,
लखनऊ–226001
दिनांकः लखनऊः जुलाई 9 ,2019

प्रिय महोदय/महोदया,

जाली मुद्रा के प्रचलन के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से सोची–समझी रणनीति के तहत विदेशी ताकतों द्वारा जाली नोटों के साथ संवाहकों को भारत में प्रविष्ट कराया जाता रहा है। बरामद होने वाले जाली नोटों की छपाई के उत्कृष्ट स्तर से यह स्पष्ट था, कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठित तन्त्र काम कर रहा है। इस बात की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, कि इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश से अथवा देश से बाहर किसी अन्य देश से किया जा रहा हो। जाली मुद्रा के प्रचलन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु इस ओर सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास जो भी अभिसूचना तंत्र है, उसे आप सक्रिय कर ऐसे तत्वों के विरूद्ध पूरी जानकारी हासिल करें और उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करायें। जाली नोटों की बरामदगी होने पर मामलें की सतही विवेचना न कर मामलें की जड़ तक पहुँचने का प्रयास किया जाय एवं जाली नोटो की बरामदगी के समय गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछ–ताछ की जाय।

2. पूर्व में भी कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जाली नोटों की बरामदगी हुई, लेकिन गहन पड़ताल के अभाव में पुलिस इन मामलों की जड़ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सकी और केवल जाली नोट लाने–ले जाने वाले संवाहकों एवं छुटभइयों का चालान कर मामले कि इतिश्री समझ ली गयी। पुलिस की इस मानसिकता से भी इन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। जाली मुद्रा के प्रचलन में राष्ट्र–विरोधी तत्वों का हाथ होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

3. उपरोक्त सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 19.09.2013 में उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी की जॉच आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिनके मुख्य अंश निम्नवत हैः–

I. जिन प्रकरणों में ऐसे FICN की बरामदगी होती है, जो प्रथम दृष्टया **''उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी''** प्रतीत नहीं होते हैं, उनके सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता में समुचित धाराओं के अन्तर्गत सामान्य विवेचनात्मक प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत Forensic Authority से परीक्षण कराते हुए आगेम वैधानिक कार्यवाही की जाये।

Scanned by CamScanner

II. जिन प्रकरणों में अभिग्रहीत करेंसी के "उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी होने का संदेह किया जा रहा हो, उनमें उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम 2013 के अन्तर्गत अंकित प्राविधानों के अनुसार मुद्रा बरामदगी के 48 घण्टे के अन्दर उसे अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाये और अगले 15 दिवस के अन्दर उससे एक आरम्भिक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त की जाये कि क्या अधिनियम की तृतीय सूची में यथानिर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा की विशेषताओं को अभिगृहीत कूटकृत करेंसी में नकल किया गया या संकट में डाला गया है अथवा नहीं? अर्थात क्या अभिगृहीत करेंसी "उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी" है।

नोटः– **अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी का तात्पर्य "उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 के नियम 4 में अंकित बिन्दुओं के अनुसार होगा, जो निम्नवत है:–**

4. **न्यायालयीय प्राधिकारी की अधिसूचना**–धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित प्राधिकृत या अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(क) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड या सेक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन प्रयोगशालायें;

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन न्यायालयीय प्रयोगशालायें;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर इस प्रकार अधिसूचित कोई अन्य स्थापन जिसके पास आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षित कार्मिक हों।

III. उपरोक्त संदर्भित आरम्भिक न्यायालयीय रिपोर्ट की प्राप्ति पर विवेचक उसे अभिग्रहण के तथ्यों की रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगा जिनका यदि इससे यह समाधान हो जाता है कि उक्त कार्य भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करने की श्रेणी में आता है, तो वह उन कारणों को अभिलिखित करते हुये विधि विरूद्ध कियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 16 के साथ पठित धारा 15 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के उपबन्धों को लागू करने के लिये आदेशित कर सकेगें। **चूँकि विधि विरूद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम के प्राविधान गम्भीर प्रकरणों के लिए विर्निदिष्ट हैं, अतः इनको लागू करने के पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्ण गंभीरता तथा संवेदनशीलता के साथ विवेक का प्रयोग करते हुये निर्णय लिया जाये।**

नोटः–उपरोक्त समाधान के लिये सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों के अन्वेषण नियम, 2013 के नियम (5) में विनिर्दिष्ट शर्तो के अतिरिक्त नियम (6) के उपनियम (4) के खण्ड (क) से (ञ) में से एक या अधिक को संज्ञान में लेगें।

iv. यदि सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्तानुसार विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 को लागू करने का निर्णय लिया जाता है तो उपरोक्त विवेचना [illegible]

Scanned by CamScanner

यदि विचारण के उपरान्त अधिनियम को लागू करने का निर्णय सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं लिया जाता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की समुचित धाराओं में अग्रिम विवेचना नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

(क) विधि विरूद्व किया कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 43(D) के अनुसार इस अधिनियम के लागू किये जाने की स्थिति में दं0प्र0सं0 की धारा 167 में उल्लिखित 15 दिवस, 90 दिवस व 60 दिवस को 30 दिवस, 90 दिवस व 90 दिवस पढा जायेगा।

(ख) विधि विरूद्व कियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अन्तर्गत विवेचनाधीन अभियोग की विवेचना यदि 90 दिवस में भी पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उक्त स्थिति में विवेचक द्वारा लम्बित विवेचना के पूर्ण किये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने के कारणों को उल्लिखित करते हुये एक रिपोर्ट लोक अभियोजक को दी जायेगी। लोक अभियोजक द्वारा विवेचना की प्रगति एवं विवेचक द्वारा विवेचना हेतु अतिरिक्त समय के मॉग के कारणों की समीक्षा करते हुये एक स्वतन्त्र रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा विचारोपरान्त अभियुक्त के रिमाण्ड की अवधि 180 दिवस तक विस्तारित की जा सकती है। **यह भी महत्वपूर्ण है कि विवेचक को अभियुक्त के प्रथम रिमाण्ड से 90 दिवस पूर्ण किये जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु युक्ति–युक्त** समय पूर्व विवेचना हेतु अतिरिक्त समय की मॉग को माननीय न्यायालय द्वारा विचारित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र लोक अभियोजक को यथोचित समय पूर्व दे देना चाहिए, जिससे न्यायालय द्वारा अभियुक्त के प्रथम रिमाण्ड के 90 दिवस के पूर्व अभियुक्त को तदनुसार जेल से तलब कर विवेचक द्वारा विवेचना हेतु मॉगे गये अतिरिक्त समय के आधारों को सूचित कर दिया जाये एवं उसे युक्तियुक्त पूर्ण सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जा सके।

(ग) यदि विधि विरूद्व कियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो विधि विरूद्व कियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 43 (D) (2) (b) के प्राविधान के अन्तर्गत विवेचक अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के कारणों को बताते हुये शपथ–पत्र (धारा 297 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार) दाखिल करेगा तथा साथ ही उस पुलिस अभिरक्षा का निवेदन करते हुए विलम्ब यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देगा।

Scanned by CamScanner

नोट: विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्त एवं साक्षियों के नाम तथा वास्तविक पते का सत्यापन अवश्य किया जाये व यदि सम्भव हो तो उनके समर्थन में साक्षियों तथा अभियुक्तों के मान्य परिचय-पत्र की प्रति भी प्राप्त की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक अभिलेख जो साक्ष्य में संलग्नित हो तथा जिनको न्यायालय में प्रमाणित करना हो, उसे न्यायालय में प्रमाणित करने के लिये अभिलेख के प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी का नाम, पता, पदनाम भी अंकित किया जाये।

v. विवेचक अधिसूचित न्यायालयीय प्राधिकारी को पूर्व में परीक्षण हेतु भेजी गयी करेंसी की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करते हुए एवं सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित करते हुये विधि विरूद्ध कियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारिता युक्त न्यायालय में वाद चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु अभियोजन कथानक, रिकवरी, मेमो, एफ0आई0आर0, साक्षियों के 161 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत अभिलिखित कथन, अभिलेखीय साक्ष्य की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को देगा।

vi. शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में भेजा जाये व अभियुक्त को विर्निदिष्ट दिवस पर धारा 170 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की कार्यवाही की जाये।

vii. प्रत्येक अभियुक्त को प्र0सू0रि0, जी0डी0 कायमी, रिकवरी मेमों, प्रयोगशाला की रिपोर्ट, साक्षियों के धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित कथन जिनका साक्ष्यांकन कराना हो, अन्य अभिलेख जिनका विचारण में परीक्षण कराया जाना हो तथा पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय के माध्यम से प्रदान करायेगा।

viii. उचित होगा कि वह साक्ष्य जिनको विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया जाना हो, उनकी सूची तथा प्रदर्शो की सूची अभियोजन के लिये पृथक से तैयार कराया जाये व सम्पूर्ण माल राजकीय मालखाने में रखा जाये। इस हेतु यह आवश्यक है कि माल को सर्वप्रथम मालखाना में अन्तरित किये जाने के पूर्व सामान्य दैनिकी एवं माल मुकद्माती रजिस्टर में इसका उल्लेख किया जाये तथा जब-जब भी विधिक कारणों से माल को मालखाना से किसी अन्य स्थान पर प्रेषित करना हो तो उसका विवरण भी सामान्य दैनिकी एव माल मुकद्माती रजिस्टर मे अंकित करते हुये माल के chain of custody का सम्यक रिकार्ड में अंकित करते हुये उसका विवरण अवश्य रखा जाये, जिससे आवश्यकतानुसार [illegible]

Scanned by CamScanner

4 अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांकित 19.09.2013 मे इंगित **"उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी"** की जॉच आदि के सम्बन्ध में अपने जनपदों में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

9.7.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned by CamScanner